न्यायालय– प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, बागली जिला देवास म.प्र.
(समक्ष :– बबीता प्रजापत)

आर.सी.एस.ए क0 68/2023
संस्थित दिनांक 04.08.2023
सी.एन.आर.न. एमपी 4107–001848–2023
फाईलिंग न0 212/2023

01. सुशीलाबाई पति मानसिंह चौधरी, आयु– 55 वर्ष,
02. रवि पिता मानसिंह चौधरी, आयु– 32 वर्ष,
03. विजय पिता मानसिंह चौधरी, आयु– 30 वर्ष,
निवासीगण– ग्राम बोरखेड़ापुर्बिया हाटपीपल्या
जिला देवास म.प्र. ....**वादीगण**

–: विरुद्ध :–

01. मानसिंह पिता स्व. लक्ष्मणसिंह चौधरी, आयु– 58 वर्ष,
02. उषाबाई पति मानसिंह चौधरी, आयु– 50 वर्ष,
03. निलेश पिता मानसिंह चौधरी, आयु– 24 वर्ष,
04. प्रीति उर्फ वर्षा पिता मानसिंह चौधरी, आयु– 22 वर्ष,
05. प्रिया पिता मानसिंह चौधरी, आयु– 20 वर्ष,
निवासीगण– ग्राम बोरखेड़ापुर्बिया हाटपीपल्या जिला
देवास म.प्र., हा.मु. 11/101 ओम साईंनाथ कॉलोनी राउ
जिला इंदौर म.प्र.
06. बिहारीलाल पिता स्व. लक्ष्मणसिंह चौधरी (मृत) द्वारा वारिसान
क– कमलाबाई पति स्व. बिहारीलाल, आयु– 58 वर्ष,
ख– मेहरबानसिंह पिता स्व. बिहारीलाल, आयु– 38 वर्ष,
ग– इंदरसिंह पिता स्व. बिहारीलाल, आयु– 36 वर्ष,
07. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला देवास म.प्र.
08. म.प्र. शासन द्वारा उप पंजीयक,
उप पंजीयन कार्यालय जिला देवास म.प्र. ....**प्रतिवादीगण**

वादीगण द्वारा	–	श्री लक्ष्मीनारायण कराड़िया अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 द्वारा	–	श्री आर.के. ईनाणी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 6 के वारिसान एवं प्रतिवादी क्रमांक 7 द्वारा	–	एकपक्षीय।
प्रतिवादी क्रमांक 8 द्वारा	–	पूर्व से एकपक्षीय

//नि र्ण य//

(आज दिनांक 25.06.2025 को घोषित)

01. वादीगण द्वारा यह वाद ग्राम बोरखेडा तह. बागली जिला देवास स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 633/1 रकबा 0.53 हेक्टेयर (जिसे निर्णय के पश्चातवर्ती प्रक्रम पर वादग्रस्त कृषि भूमि से संबोधित किया जावेगा) के संबंध में घोषणात्मक सहायता एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है।

02. प्रकरण में यह अविवादित तथ्य है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 05 ग्राम बोरखेडापूर्विया तह. हाटपिपल्या जिला देवास के स्थाई निवासी हैं। प्रकरण में यह भी अविवादित तथ्य है कि वाग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 का विधिवत् राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी स्वत्व पर नाम अंकित है। प्रकरण में यह भी अविवादित तथ्य है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 ने स्वयं के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 633 रकबा 1.030 हेक्टेयर भूमि में से 0.530 हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा टिंकाकुंवरबाई को विक्रय की है तथा उक्त भूमि पर राजस्व अभिलेखो में टिंकाकुवरबाई का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। प्रकरण में यह भी अविवादित तथ्य है कि सर्वे क्रमांक 634 रकबा 1.030 हेक्टेयर की भूमि बिहारीलाल के वारिसान द्वारा राजकुमारी राजपुत को विक्रय की है।

03. वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी क्रमांक 01 प्रतिवादी क्रमांक 01 की प्रथम विवाहित वैध पत्नी तथा वादी क्रमांक 02 व 03 पुत्र है। प्रतिवादी क्रमांक 02, प्रतिवादी क्रमांक 01 की द्वितीय अविवाहित पत्नी तथा उससे उत्पन्न प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 05 पुत्र एवं पुत्री है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 के मध्य जो पारस्परिक संबंध है वह वंशवृक्ष से स्पष्ट है कि– लक्ष्मणजी के पुत्र बिहारीलाल, मानसिंह एवं पुत्री सोदराबाई हैं तथा मानसिंह की पहली पत्नी सुशीलाबाई एवं दूसरी पत्नी उषाबाई है तथा मानसिंह को पहली पत्नी सुशीलाबाई से पुत्र रवि और विजय तथा दूसरी पत्नी

उषाबाई से पुत्र निलेश एवं पुत्री वर्षा व प्रिया हैं। वादी क्रमांक 01 के ससुर व प्रतिवादी क्रमांक 01 व 06 के पिता तथा वादी क्रमांक 02 व 03 और प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 05 के दादा लक्ष्मणसिंह के स्वत्व व आधिपत्य की कृषिभूमि सर्वे क्रमांक 398 नया 633 व 634 कुल रकबा 2.89 हेक्टेयर ग्राम बोरखेडा पूर्विया प.ह.नं. पुराना 1 व नया 2 राजस्व निरीक्षक मण्डल 1 तह. हाटपिपल्या जिला देवास में स्थित है। लक्ष्मणजी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक 01 मानसिंह, प्रतिवादी क्रमांक 06 बिहारीलाल उनके उत्तराधिकारी होने से उनका नाम राजस्व अभिलेखों में नामातंरण प्रकरण क्रमांक 21 आदेश दिनांक 20.04.1996 के माध्यम से संयुक्त रूप से दर्ज हुआ जो संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि होने से संयुक्त खाते में चली आ रही है। नामातंरण होने के एक–दो वर्ष बाद प्रतिवादी क्रमांक 01 वादीगण को गांव में अकेला छोड़कर कई चला गया इस कारण वादीगण संयुक्त खाते की भूमि पर काबिज होकर प्रतिवादी क्रमांक 01 को तलाश करने की कोशिश की गई किन्तु पता नही चला। काफी समय व्यतित हो जाने के पश्चात् वर्ष, 2008 में प्रतिवादी क्रमांक 01 वादीगण के पास आया उस समय वादी क्रमांक 02 की आयु 16 वर्ष और वादी क्रमांक 03 की आयु 15 वर्ष होने से उन्हें पारिवारिक ज्ञान नही था क्योंकि वह नाबालिग थे साथ ही वादी विजय विकलांग है।

04. वादपत्र आगे इस प्रकार है कि वर्ष 2008 में प्रतिवादी क्रमांक 01 के आने के पश्चात् एक–दो माह पश्चात् गांव छोडकर जाने से वादीगण द्वारा संयुक्त खाते की पैतृक कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 633 रकबा 1.03 हेक्टेयर पर काबिज होकर मार्च–अप्रैल, 2013 में खेती की जा रही थी उसी दौरान गांव का राजेन्द्रसिंह उक्त भूमि पर आया और वादीगण को उक्त भूमि में से रकबा 0.50 हेक्टेयर भूमि विक्रय पत्र दिनांक 01.12.2008 के द्वारा टिंकाकुंवरबाई के नाम से क्रय करने का बोलकर कब्जा सौंपने हेतु लडाई–झगडा करने लगा। उसके बाद वादीगण ने उक्त विक्रय पत्र के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 06 बिहारीलाल से जानकारी प्राप्त की तो बिहारीलाल ने बताया कि मानसिंह व उसके द्वारा पैतृक भूमि सर्वे क्रमांक 633 रकबा 1.03 हेक्टेयर और सर्वे क्रमांक 634 रकबा 1.03 हेक्टेयर का वर्ष, 2008 में आपसी बंटवारा कर लिया और बंटवारें के माध्यम से भूमि सर्वे क्रमांक 633 रकबा 1.03 हेक्टेयर मानसिंह ने अपने पास और सर्वे क्रमांक 634 रकबा 1.03 हेक्टेयर प्रतिवादी क्रमांक 06 को प्राप्त होने पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। उपरोक्त तथ्य की जानकारी होने पर प्रतिवादी क्रमांक 01 की तलाश की गई किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 01 का पता नहीं चलने पर लापता होने के संबंध में पुलिस अधीक्षक देवास एवं अन्य विभागों

में आवेदन दिए गए किन्तु प्रतिवादी क्रमांक 01 का कोई पता नही चला। वादीगण की भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश करने के संबंध में दिनांक 05.02.2014 को पुलिस देवास, दिनांक 30.05.2017 को कलेक्टर जनसुनवाई देवास एवं दिनांक 01.06.2021 को थाना प्रभारी हाटपिपल्या को आवेदन दिया गया था तब वादीगण को यह जानकारी प्राप्त हुई कि प्रतिवादी क्रमांक 01, प्रतिवादी क्रमांक 02 के मध्य रहे अवैध संबंधों से प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 05 का जन्म हुआ है जो ओम साईनाथ कॉलोनी, राउ जिला इंदौर में निवास कर रहे हैं।

05. वादपत्र आगे इस प्रकार है कि प्रतिवादी क्रमांक 06 बिहारीलाल जी को पैतृक कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 634 रकबा 1.03 हेक्टेयर आपसी बंटवारा में वर्ष, 2008 में प्राप्त हुई थी। उक्त भूमि में से बिहारीलाल जी ने अपने जीवन काल में रकबा 0.62 हेक्टेयर भूमि राजकुमारी राजपूत को विक्रय कर दी गई थी और जो शेष भूमि रकबा 0.41 हेक्टेयर बिहारीलाल जी के पास थी वो बिहारीलाल जी की मृत्यु होने के बाद उनके उत्तराधिकारी प्रतिवादी क्रमांक 06 क, ख व ग को प्राप्त हुई। प्रतिवादी क्रमांक 06 क, ख व ग द्वारा उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 634 / 1 रकबा 0.41 हेक्टेयर भी राजकुमारी राजपूत को विक्रय कर देने के पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक 06 के पास वर्तमान में कोई शेष भूमि नहीं बची है। इस प्रकार बिहारीलाल व उनके उत्तराधिकारीगण की संपूर्ण भूमि सर्वे क्रमांक 634 / 2 व 634 / 1 रकबा 1.03 हेक्टेयर राजकुमारी राजपूत को विक्रय कर दी गई है। उसके बाद वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 के ज्ञात पते पर गए और प्रतिवादी क्रमांक 01 को अपने ग्राम बोरखेडा तह. हाटपिपल्या जिला देवास चलने व उनके साथ रहने हेतु काफी निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 01 वादीगण के साथ नहीं आया और उपरोक्त भूमि सर्वे क्रमांक 633 रकबा 1.03 हेक्टेयर में से रकबा 0.50 हेक्टेयर विक्रय पत्र दिनांक 01.12.2008 के द्वारा टिंकाकुंवरबाई राजपूत को विक्रय करने के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर, प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादोक्त भूमि सर्वे क्रमांक 633 / 1 रकबा 0.53 हेक्टेयर वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की होना और प्रतिवादी क्रमांक 01 या अन्य द्वारा उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का स्वीकार करते हुए वादोक्त भूमि पर वादीगण द्वारा राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करने का वचन राउ इंदौर में दिया गया था और वादीगण को वहा से भगा दिया। इस प्रकार वादीगण वादोक्त भूमि पर वर्ष, 1993 से काबिज होकर खेती करते आ रहे है और उनके पास वादोक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि अपने जीवन यापन के लिए नहीं है।

06. वादपत्र आगे इस प्रकार है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 द्वारा आपस में मिलकर अपने अनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूर्व में उक्त भूमि टिंकाकुंवरबाई को विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दी और शेष रही भूमि में से वादीगण की पीठ पीछे उनकी सहमति प्राप्त किए बिना उक्त भूमि में से रकबा 0.25 हेक्टेयर का दानपत्र दिनांक 04.11.2022 को प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 03 के पक्ष में कराया गया, जो वादीगण के हित व अधिकारों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है जो वादीगण पर बंधनकारी नहीं है। इन्हीं आधारों पर वादीगण द्वारा हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

07. प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 द्वारा स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त प्रस्तुत वादोत्तर संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 की, उषाबाई प्रतिवादी क्रमांक 2 विवाहित पत्नी हैं, प्रतिवादी क्रमांक 2 से प्रतिवादी क्रमांक 01 का विधिवत हिंदू धर्म व रीति अनुसार विवाह संपन्न हुआ है तथा प्रतिवादी क्रमांक 03 लगायत 05 प्रतिवादी क्रमांक 1 की विवाहित पत्नी उषाबाई से उत्पन्न संतान है। प्रतिवादी क्रमांक 1 का एक पुत्र और था जिसका नाम राहुल था जिसका स्वर्गवास हो गया है। वादीगण का प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 से कोई पारस्परिक संबंध नहीं है। विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 के एकमात्र स्वामित्व व आधिपत्य की रही है तथा वर्तमान में भी प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वामित्व की है। लक्ष्मणजी का स्वर्गवास हो गया है तथा उनके प्रतिवादी क्रमांक 1 व स्व. बिहारीलाल वारिस रहे हैं। बिहारीलाल का भी स्वर्गवास हो गया है। वादग्रस्त भूमि पर राजस्व कागजात में प्रतिवादी क्रमांक 1 व स्व. बिहारीलाल का नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित रहा है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का विधिवत राजस्व कागजात में भूमि स्वामी स्वत्व पर नाम अंकित हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक 1 अपने पैतृक गांव ग्राम बोरखेड़ापूर्विया में ही रहता है। विवादित भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं है एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 विवादित भूमि का स्वामी होने से उसके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 3 के पक्ष में दानपत्र संपादित किया है और राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क्रमांक 03 का नाम भी दर्ज हो गया है। विवादित भूमि से वादीगण का कोई संबंध नहीं है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

08. प्रतिवादी क्रमांक 08 द्वारा प्रस्तुत वादोत्तर संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादी मानसिंह द्वारा पंजीयन कार्यालय में वैध दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर प्रतिवादी नीलेश चौधरी को सर्वे नंबर 633 / 1, रकबा 0.53 हेक्टेयर में से 0.25 हेक्टेयर भूमि का दानपत्र दिनांक 04.11.2022 को संपादित कराया है। उपपंजीयक कार्यालय देवास में मात्र आपत्ति प्रस्तुत करने पर दानपत्र के पंजीयन पर रोक करने का अधिकार उपपंजीयक को नहीं है, किसी भी वैध सर्वे नंबर के दस्तोवज प्रस्तुत करने पर पंजीयन कार्यालय को विधि अनुसार पंजीयन करने का अधिकार प्राप्त है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

09. प्रतिवादी क्रमांक 06 एवं उसके वारिसान एवं प्रतिवादी क्रमांक 07 के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अग्रेषित की गयी है।

10. उभयपक्ष के अभिवचनो के आधार पर न्याय संगत निराकरण हेतु निम्नलिखत विवाद्यक विरचित किये गये है जिनकी विवेचना उपरात प्राप्त निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित है—

<u>वादप्रश्न</u>	**<u>निष्कर्ष</u>**
01. क्या ग्राम बोरखेड़ापूर्विया, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास म.प्र. में स्थित भूमि सर्वे नं. 633 / 1, रकबा 0.53 हेक्टेयर के वादीगण एकमात्र स्वामी हैं ?	**अप्रमाणित**
02. क्या उक्त भूमि में से रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि का प्रतिवादी क्रमांक 01 ने प्रतिवादी क्रमांक 03 के पक्ष में निष्पादित दानपत्र दिनांक 04.11.2022 वादीगण के हित व अधिकार के संबंध में शून्य व अबंधनकारी है ?	**अप्रमाणित**
03. क्या प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर अवैधानिक रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	**अप्रमाणित**
04. सहायता एवं व्यय ?	**निर्णय चरण क्रमांक 37 के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार।**

आधार एवं निष्कर्ष
वाद प्रश्न क्रमांक–01 व 02

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित क्रमबन्धन व सम्यक् विवेचना करने तथा पुनरावृत्ति निवारित करने के आशय से सभी वाद प्रश्न पर एक साथ विचार किया जा रहा है।

11. इस संबंध में वादी साक्षी विजय चौधरी (वा.सा.1) का अभिकथन है कि उसके पिता मानसिंह, उसका एवं उसके भाई का जन्म होने के बाद उन्हें छोड़कर कहीं चले गये थे। उन्होंने अपने पिता को बहुत तलाश किया लेकिन वे नहीं मले। उसके बाद वादोक्त भूमि पर खेती–बाड़ी कर उनका पालन पोषण कर रहे थे। उसे उसके पिता की जानकारी उसके बड़े बा के लडके मेहरबान से मिली थी। मानसिंह राउ में रहते हैं। उसके बाद उसे जमीन की जानकारी वर्ष 2022 में मिली थी कि उसके पिता ने वादोक्त संपत्ति का दानपत्र कर दिया है जिसके संबंध में उसने थाने व तहसील में आवेदन दिया था। उसने पिता से उक्त जमीन उसके नाम से दर्ज करने का बोला तो उन्होंने मना कर दिया था, उसके बाद उसने यह केस लगाया है। उसके पिता उन दोनों को छोड़कर चले गये थे। उसके संबंध में उसने कानूनी कार्यवाही भी की थी जिसका कोई पता नहीं चला था, उसे वर्ष 2022–23 में पिता के बारे में पता चला था। यदि उसके पिता प्रतिवादी क्रमांक 3 को दानपत्र करते हैं तो उसको भी 25–25 आरे भूमि दिलाई जावे। उसको अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। वादी साक्षी विजय चौधरी (वा.सा.1) के कथनों के समर्थन में वादी साक्षी सुशीलाबाई (वा.सा.2), चैनसिंह (वा.सा.3), तेजसिंह (वा.सा.4) एवं नाथूसिंह (वा.सा.5) ने भी कथन किया है।

12. वादी विजय चौधरी (वा.सा.1) द्वारा अपने पक्ष समर्थन में परिवार का बीपीएल कार्ड प्रपी. 1, उसकी माता सुशीलाबाई और उसका आधार कार्ड प्रपी. 2 व 3, सुशीलाबाई के नाम का विद्युत बिल प्रपी. 4, उसका जिला चिकित्सालय देवास जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रपी. 5, ग्राम पंचायत बोरखेडापूर्बिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 637 / ग्रा.अ. / 17 द्वारा उसे ग्राम आबादी की भूमि में प्रदान किये गये भूखंड का प्रमाण पत्र प्रपी. 6, उसके दादा लक्ष्मणसिंह के नाम से ग्राम बोरखेड़ापूर्विया में स्थित वादोक्त भूमि के खसरा पंचशाला वर्ष 1992–93 और 1997–98 प्रपी. 7 व 8, उसके दादा लक्ष्मणसिंह की मृत्यु के पश्चात बिहारीलाल एवं मानसिंह का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने का खसरा वर्ष 1990–2000 का प्रपी. 9, 2005 लगायत

2008 के खसरा प्रपी. 10 लगायत 12, भूमि सर्वे नंबर 633/2 पर राजस्व अभिलेख में टीकाकुंवरबाई का खसरा क्रमशः प्रपी. 13 लगायत 27, मानसिंह व बिहारीलाल के नाम के सर्वे नंबर 634 के खसरा वर्ष 2010 लगायत 2023 के प्रपी. 27 लगायत 40, वर्ष 2018–19 की किश्तबंदी खतौनी सर्वे क्रमांक 633/1, 634/1 प्रपी. 41, खसरा वर्ष 2018–19 प्रपी. 42, खातावार खतौनी राजकुंवरबाई के नाम की वर्ष 2022–23 प्रपी. 43, खातावार खतौनी एवं खसरा कमलाबाई के नाम की वर्ष 2022–23 क्रमशः प्रपी. 44 व 45, खातावार खतौनी एवं खसरा निलेश के नाम का वर्ष 2023–24 प्रपी. 46, 47 उसके दादा लक्ष्मणसिंह के नाम का खसरा वर्ष 1977–98 प्रपी. 48, बोरखेड़ापूर्बिया में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 398/1 की री–नंबरिंग सूची वर्ष 1998–99 प्रपी. 49 तथा प्रतिवादी क्रमांक. 1 द्वारा टीकाकुंवरबाई के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 01.12.2008 की प्रमाणित प्रति 63 प्रस्तुत की हैं।

13. वादी सुशीलाबाई (वा.सा.2) का अभिकथन है कि वह प्रतिवादी क्रमांक 1 की पत्नी है, उसके ससुर का नाम लक्ष्मण है। वह विवाह से ही बोरखेडा में रहती थी। उसके दोनों बच्चे पैदा होने के बाद उसके पति मानसिंह उसे छोड़कर वहां चले गये थे, इसके बाद उसे अपने पति के संबंध में 02 शिकायत दर्ज करवाई थी। उसे जानकारी प्राप्त हुयी कि 01 बीघा जमीन स्थानांतरित कर दी, जिस पर निलेश का नाम चढ़ गया है। वह यह चाहती है कि निलेश का जमीन पर जो नाम चढ़ गया है, उसे हटाया जाये क्योंकि वह मानसिंह की पत्नी होने से उसका पहला अधिकार होता है। महू में 3 प्लाट हैं, जिनमें 2 प्लाट पर मकान बने हुये हैं और एक खाली पड़ा है। उनमें से भी वह मकान चाहती है। उसके पास रहने के लिये मकान नहीं है। जब से वह उसे छोड़कर गये हैं, तब से उसे अभी तक का खर्चा भी उसके पति से चाहिये।

14. साक्षी चेनसिंह (वा.सा.3) का अभिकथन है कि उसने विजय व अजय की जमीन देखी है जो ग्राम बोरखेडापूर्बिया में हैं जिस जमीन पर पहले अजय, विजय के पिता मानसिंह खेती करते थे। मानसिंह और उसके भाई बिहारी को उक्त जमीन उनके पिता लक्ष्मण से प्राप्त हुई थी। लक्ष्मण की मृत्यु लगभग वर्ष 1993–94 में हो गई थी। भूमि पर अजय, विजय का कब्जा है, भूमि पर कृषि तेजसिंह के ट्रेक्टर से करवाते हैं। वर्तमान में उन्हीं के ट्रेक्टर से गेहूं बोये हैं। वह ग्राम बोरखेड़ा का रहने वाला है और वहीं की उसकी पैदाईश हैं, इसलिये उसे उक्त जमीन के संबंध में जानकारी है।

15. साक्षी तेजसिंह (वा.सा.4) का अभिकथन है कि वह वादीगण व प्रतिवादी मानसिंह को जानता है, वह ग्राम बोरखेडापूर्बिया का निवासी है, उसी गांव में उसका जन्म हुआ है। वह अजय, विजय के दादा एवं मानसिंह के पिता लक्ष्मण को भी जानता है। लक्ष्मणसिंह के दो लड़के मानसिंह एवं बिहारीसिंह थे। लक्ष्मणसिंह के पास जमीन थी जो लक्ष्मण की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिहारीसिंह एवं मानसिंह के पास चली गई थी। बिहारीसिंह एवं मानसिंह लगभग 25–30 वर्षों से गांव छोड़कर चले गये हैं। मानसिंह के हिस्से में जो जमीन आई थी, उक्त जमीन की उनके पुत्र विजय व अजय एवं सुशीलाबाई देखरेख व खेती करते थे। वर्तमान में मानसिंह के आधिपत्य की भूमि पर वादीगण खेती कर रहे हैं। अजय, विजय ने खेती करने के लिये ट्रेक्टर बुलाया था और हंकाई, जुताई, बुवाई करवाई थी।

16. साक्षी नाथूसिंह (वा.सा.5) का भी अभिकथन है कि वह ग्राम बोरखेड़ा का निवासी है। वह सुशीलाबाई और उसके दोनों बच्चों को जानता है, मानसिह को नहीं जानता है, वह अभी तक गांव में नहीं आया है, सुशीलाबाई और उसके बच्चे गांव में रहते हैं और खेती करते हैं उसे सुशीलाबाई के पति और रवि व विजय के पिता का नाम नहीं मालूम है। सुशीलाबाई जो खेती कर रही हैं वह उनके पूर्वजों की जमीन है। उसे रवि और विजय के दादाजी का नाम नहीं मालूम है।

17. इसके विपरीत प्रतिवादी साक्षी मानसिंह (प्रति.सा.1) का अभिकथन है कि उषाबाई उसकी पत्नी हैं निलेश उसका लड़का तथा वर्षा व प्रिया उसकी लड़की हैं उसके पिता लक्ष्मण का स्वर्गवास करीब 30 वर्ष पूर्व हो गया था। उषाबाई उसकी विवाहिता पत्नी है, जिससे करीब 35 पूर्व शादी हुई थी। उषाबाई से सबसे पहले उसका लड़का राहुल हुआ था जिसका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद वर्षा व प्रिया हुई, उसके पश्चात लड़का निलेश हुआ था। सुशीलाबाई से उसकी दोस्ती हो गयी थी। सुशीलाबाई से कभी उसका कोई विवाह की रस्म नहीं हुई। वह मूलरूप से ग्राम बोरखेडापूर्बिया का रहने वाला है, इसी गांव में उसकी वादग्रस्त भूमि है। उसके पिता की मृत्यु के उपरांत क्रियाकर्म सांवेर किया था तब उसकी पत्नी उषाबाई उपस्थित थी। सुशीलाबाई के नाम की कोई महिला उसके पिता के क्रियाकर्म के समय उपस्थित नहीं थी। उसने टीकाकुंवरबाई को 2 बीघा भूमि ग्राम बोरखेडा गांव की बेची है, जिस पर राजेंद्रसिंह, टींकाकुंवरबाई का पति खेती करता है। प्रतिवादी साक्षी मानसिंह के कथनों के समर्थन में प्रतिवादी साक्षी उषा चौधरी (प्रति.सा.2) एवं राजेंद्र

(प्रति.सा.3) ने भी कथन किये हैं।

18. साक्षी उषा चौधरी (प्रति.सा.2) का अभिकथन है कि प्रतिवादी मानसिंह उसका पति, प्रतिवादी निलेश, वर्षा एवं प्रिया उसकी संतान है, उसके ससुर का नाम लक्ष्मणसिंह है जिनका निधन लगभग 30–35 वर्ष पूर्व हो गया है। उसके ससुर लक्ष्मणसिंह का अंतिम संस्कार उसके जेठ व उसके पति ने किया था, उस समय उसी सास जीवित थी। उसकी सास रेशमबाई का निधन उसके ससुर के निधन के एक या दो वर्ष पश्चात हो गया था। उसका विवाह मानसिंह के साथ उसके मायके ग्राम केरवा तहसील ठीकरी में हुआ था और विवाह करके ग्राम बोरखेड़ापूर्विया में आये थे और मंदिरों में रीतिरिवाजानुसार दर्शन आदि करने गये थे।

19. साक्षी राजेंद्रसिंह (प्रति.सा.3) का अभिकथन है कि वह ग्राम बोरखेडापूर्बिया में रहता है। वह प्रतिवादी मानसिंह, उषाबाई, निलेश को जानता है, उषाबाई, मानसिंह की पत्नी है। टींकाकुंवरबाई उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी ने मानसिंह से भूमि क्रय की थी, उस भूमि पर वह कृषि कराता है। उसने प्रतिवादी मानसिंह के पिता लक्ष्मणसिंह को देखा था। लक्ष्मणसिंह, बोरखेडापूर्बिया में रहते थे, उनकी मृत्यु करीब 40 साल पहले हो चुकी है। उषाबाई का मानसिंह के साथ विवाह हुआ था। उषाबाई से मानसिंह की प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 04 संतान हैं जिनमें से एक लड़के का स्वर्गवास हो गया है। उसने जो कृषि भूमि मानसिंह से क्रय की है, उस पर पहले मानसिंह ही खेती करता था।

20. वादी साक्षी विजय चौधरी (वा.सा.01) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 09 में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि लक्ष्मणसिंह के जीवित अवस्था में व मृत्यु के पश्चात कितनी भूमि थी, उसे पता नहीं है। उसकी जन्म दिनांक 13.07.1993 है। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने, उसकी जन्मतिथि से संबंधित कोई प्रमाणपत्र वादपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने लक्ष्मणजी की मृत्यु से संबंधित मृत्यु तिथि का कोई प्रमाणपत्र पेश नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण की कंड़िका क्रमांक 10 में बताया है कि वादपत्र में उसने सौदराबाई का उल्लेख करवाया है वह रूपाखेड़ी में रहती है। सौदराबाई, लक्ष्मणजी की पुत्री है। लक्ष्मणजी का स्वर्गवास हुए कितने वर्ष हो चुके हैं, उसे पता नहीं है। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मानसिंह और बिहारी का नाम जमीन पर चढाने के संबंध में तहसीलदार के आदेश की प्रति पेश नहीं की है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक

11 में <u>इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर लक्ष्मणजी का स्वर्गवास होने के बाद लक्ष्मणजी की पत्नी रेशमबाई व बिहारीलाल, मानसिंह का नाम अंकित हुआ था</u>। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर टीकाकुंवरबाई का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 12 में बताया है कि वह उषाबाई को जानता है, जो कि मानसिंह की पत्नी है। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रीति उर्फ वर्षा एवं प्रिया मानसिंह की पुत्रियॉ हैं। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने सुशीलाबाई और रवि ने मानसिंह, उषाबाई, निलेश, वर्षा उर्फ प्रीति एवं प्रिया को परेशान करने के लिए असत्य वाद पेश किया है। इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर मानसिंह कृषि कार्य करते चले आ रहे थे।

21. वादी साक्षी सुशीलाबाई (वा.सा.02) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 06 में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मानसिंह उसका विवाहित पति है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 10 में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि सौदराबाई लक्ष्मणजी की पुत्री है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 11 में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर राजेन्द्र सिंहजी खेती कराता हैं, स्वतः व्यक्त किया कि उसने जमीन बेंची थी, इसलिए वह खेती करवाता है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 12 में <u>इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वर्तमान में मौके पर मात्र 02 बीघा भूमि है, उक्त 02 बीघा भूमि में मानसिंह का भी हक है व वर्षा और प्रिया का भी हक है</u>। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि संपूर्ण वादग्रस्त भूमि की खेती टीकाकुंवर व उसका पति राजेन्द्र करवा रहा है, स्वतः व्यक्त किया कि वह कर रहे हैं, खा रहे हैं। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 13 में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने लक्ष्मणजी, मृत्यु के संबंध में मृत्यु दिनांक का कोई प्रमाण पत्र वादपत्र के साथ पेश नहीं किया है। उसने वादपत्र के साथ विजय व रवि के जन्म दिनांक से संबंधित जन्मतिथि का प्रमाण पत्र पेश किया है। साक्षी से पूछे जाने पर कि वादी क्रमांक 02 व 03 के जन्म प्रमाण पत्र प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है, तो साक्षी का कहना है कि पेश किए हैं, यदि प्रकरण में न लगी हो तो वह आज कारण नहीं बता सकती है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 14 में इस बात की जानकारी नहीं होना बताया कि वादग्रस्त भूमि कौन–कौन से सर्वे नंबर की है, स्वतः व्यक्त किया कि वह अनपढ़ है। उसे इस बात की भी जानकारी नही है कि उषाबाई प्रतिवादी क्रमांक 02 मानसिंह की विवाहिता पत्नी है, उसने जो वादपत्र पेश किया है उसमें उषाबाई के पति का नाम मानसिंह लिखाया है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह मानसिंह की विवाहिता पत्नी नहीं है तथा मानसिंह की भूमि को अवैध

रूप से लेने के इरादे से उसने यह असत्य वाद पेश किया है।

22. प्रतिवादी साक्षी मानसिंह (प्रति.सा.01) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 4 में व्यक्त किया है कि बिहारीलाल उसका सगा भाई है, जो लक्ष्मणजी का लड़का है। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि विजय, निलेश, प्रीति व प्रिया चारों बिहारीलाल के भतीजे व भतीजी हैं। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि विजय, उसका व सुशीलाबाई का लडका है। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादी विजय स्व. लक्ष्मणजी का पोता एवं बिहारीलाल का भतीजा है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 05 में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे एवं उसके भाई बिहारीलाल को वादोक्त भूमि एवं अन्य भूमि उसके पिता लक्ष्मणजी से प्राप्त हुयी थी। इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसके पिता से जो भूमि से प्राप्त हुयी थी वही भूमि उसने टीकाकुंवरबाई पति राजेन्द्र को बेची है। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि विजय, लक्ष्मणजी का पोता होने के नाते वादोक्त भूमि में उसका व रवि व विजय का भी हिस्सा है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 6 में साक्षी से पूछे जाने पर कि लक्ष्मण की मृत्यु के समय रवि की उम्र 3 साल व विजय की उम्र 5 साल थी इसलिये वह लक्ष्मण की मृत्यु के समय उपस्थित नहीं थे, तो साक्षी का कहना है कि रवि की उम्र 3 साल व विजय का जन्म नहीं हुआ था। स्वतः कहा कि विजय का जन्म उस समय नहीं हुआ था। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि विजय व रवि दोनों भाई होकर दोनों सुशीलाबाई के लडके हैं। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह, रवि व विजय का पिता है, इसलिये उनकी एक ही माह में जन्म होने की उसे जानकारी है।

23. प्रतिवादी साक्षी मानसिंह (प्रति.सा.01) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 8 में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे उसके पिता से प्राप्त भूमि में से ही कुछ भूमि का दानपत्र नीलेश के नाम कर दिया है। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके पिता से प्राप्त भूमि में उसके पुत्र रवि और विजय का भी हिस्सा बनता है। साक्षी से ऐसा पूछे जाने पर कि आपको अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का विक्रय व दानपत्र करने का अधिकार नहीं है तो साक्षी का कहना है कि वह भूमि उसकी है इसलिये उसने विक्रय व दानपत्र किया है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 9 में साक्षी से पूछे जाने पर कि सुशीलाबाई, रवि व विजय तीनों लोगों के साथ कब कब साथ रहे और आखिरी बार घर कब कब आये तो साक्षी का कहना है कि वह बाहर नौकरी करता था व आता जाता रहता था लेकिन लगभग 3 साल से वह नहीं गया जब उसने सुना कि वो उसे

मारने फिर रहे हैं। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि अपने लड़कों से लड़ाई झगड़ा होने पर उनका भूमि से अंश खत्म तो नहीं हो जाता तो साक्षी का कहना है कि वह कब अंश खत्म कर रहा है, वो उससे बोलते ही नहीं है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 12 में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उषाबाई उसकी पत्नी है, ऐसा उसने कोई राशनकार्ड पेश नहीं किया है। साक्षी से ऐसा पूछे जाने पर कि आपकी सुशीलाबाई के साथ शादी किस दिनांक को हुई थी तो साक्षी का कहना है कि उसकी शादी सुशीलाबाई से हुई ही नहीं थी।

24. प्रतिवादी साक्षी उषा चौधरी (प्रति.सा.02) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 4 में व्यक्त किया है कि उसकी मानसिंह से मुलाकात तब हुई थी जब उसकी उनसे शादी हुई थी, उस समय उसकी उम्र– 17–18 वर्ष थी। शादी कौन से सन् में हुई, उसे याद नहीं है लेकिन लगभग 40 साल हो गये होंगे। स्वतः कहा कि उसके ससुर के शांत होने के एक दो साल पहले हुई थी। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 9 में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि बोरखेड़ापूर्विया स्थित लक्ष्मण की भूमि पर संयुक्त रूप से आज भी बिहारीसिंह के उत्तराधिकारी और मानसिंह का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मानसिंह एवं बिहारीसिंह को भूमि उनके पिता लक्ष्मण से प्राप्त हुई थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि लक्ष्मणसिंह की मृत्यु के बाद बिहारीसिंह व मानसिंह का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ है। लक्ष्मणसिंह ने बिहारीसिंह व मानसिंह को मृत्यु से पहले से ही आधी आधी भूमि मौके पर बांट दी थी। स्वतः कहा कि सास, ससुर उसके पास ही रहते थे। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्रमांक 11 में इस सुझाव को अस्वीकार किया कि मानसिंह ने सुशीलाबाई को उसकी सहमति से रखा था इसलिये उसने लिखित में कहीं शिकायत नहीं की थी।

25. वादीगण द्वारा अभिलेख पर वादग्रस्त कृषि भूमि के स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में खसरा पंचशाला वर्ष 1992–93 और 1997–98 प्रपी. 7 एवं 8, खसरा पंचशाला प्रपी. 1999–2000 प्रपी. 9 वर्ष 2005 लगायत 2008 प्रपी. 10 लगायत 12, खसरा भूमि सर्वे नंबर 633/2 प्रपी. 13 लगायत 27, खसरा सर्वे क्रमांक 634 वर्ष 2010 लगायत 2023 प्रपी. 27 लगायत 40, वर्ष 2018–19 की किश्तबंदी खतौनी प्रपी. 41, खसरा वर्ष 2018–19 प्रपी. 42, खातावार खतौनी वर्ष 2022–23 की राजकुंवर की भूमि की प्रपी. 43, खतौनी एवं खसरा कमलाबाई की वर्ष 2022–23 प्रपी. 44, 45 खातावार खतौनी एवं खसरा नीलेश के नाम का वर्ष 2023–24 प्रपी. 46, 47, खसरा लक्ष्मणसिंह के नाम का वर्ष 1977–78 प्रपी. 48 प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम यह विचार करना आवश्यक है कि वादीगण द्वारा

अभिलेख पर प्रस्तुत खसरा एवं खतौनी प्रपी. 07 लगायत 48 की सत्यप्रतिलिपि का साक्ष्यिक मूल्य क्या है? तब इस संबंध में **न्यायदृष्टांत– परसराम वि. अरविंद 2010 रा.नि.369, उच्च न्यायालय और सुरेन्द्र कुमार वि. मिथलेश कुमारी आर.एन.95, उच्च न्यायालय, 2010** अवलोकनीय है, जिसके अनुसार धारा 117 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत उपधारणा केवल अभिप्रमाणित प्रतिलिपियों अथवा प्रमाणित प्रतिलिपि से की जा सकेगी। अतः न्यायालय के मत एवं विचार में वादी द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के संबंध में भू राजस्व अभिलेख को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 79 के अंतर्गत प्रमाणित प्रति की असल होने के बारे में उपधारणा कर साक्ष्य में ग्राहय कर विचार में लिया जा सकता है।

26. अब यदि न्यायालय द्वारा वादीगण के वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में विचार किया जावे, तब यहां यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त कृषि भूमि होकर खुली भूमि है एवं खुली भूमि के संबंध में स्वत्व का प्रश्न प्रत्यक्षरूप से व तात्विक रूप से विवाद्यक होता है व स्वत्व का निष्कर्ष आधिपत्य के बिना संभव नहीं होता है। खसरा एवं खतौनी संबंधित प्रविष्टि के संबंध में उपधारणा अंतर्गत धारा 117 म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 में की जा सकती है तब इस संबंध में **न्यायदृष्टांत– (श्रीमती हसीना बेगम मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधिगण विरुद्ध नगर पालिका निगम ग्वालियर वगैरह 2017 2 रा.नि. 104 म.प्र.उ.न्या.** प्रपत्र की प्रविष्टि मात्र आधिपत्य की उपधारणा की पुष्टि करती है, न कि किसी स्वत्व या हक की। ऐसी उपधारणा को साक्ष्य से सकारण भी समर्पित होना चाहिए। खसरा एवं खतौनी में प्रविष्टि मात्र के आधार पर कोई स्वत्व या हक प्रादभूत नहीं होते हैं। वादी ने प्रकरण में प्रपी. 07 लगायत 48 के खसरा एवं खतौनी की सत्यप्रतिलिपि पेश की है, जिससे यह दर्शित होता है कि मात्र खसरा एवं खतौनी से किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर स्वामित्व प्रमाणित नहीं होता है। इस संबंध में In Bhimabai mahadeo kambekar v. Arthur import & Export co.(2019)3 scc 191, supreme court reiterated the aforesaid legal principle that mutation of a land in the revenue records does not create or estinguish the title over such land nor has it and presumptive value on the title. It only enables the person in whose favour mutation is ordered to pay the land revenue in questoin. Thus, the law in this regard is very clear or estinguish the title over such property nor has it any presumptive value on the title.

27. प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य उसके अभिवचनों के अनुरूप प्रतीत होते हैं। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत फत्ते विरुद्ध बंशीलाल ए.आई.आर. 1974 एम.पी. 16** में प्रतिपादित इस आशय का सिद्धांत अनुकरणीय है कि दर्शित किये जाने वाले स्वत्व एवं आधिपत्य के संबंध में अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों उपधारणात्मक साक्ष्यिक महत्व रखती है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांतों बंशी विरुद्ध अल्लादीन एवं अन्य 1994 राजस्व निर्णय 297 तथा चूडामणी तथा अन्य विरुद्ध श्री रामाधार एवं अन्य 1991 राजस्व निर्णय 61** में प्रतिपादित यह सिद्धांत भी अनुकरणीय है कि खसरा एवं खतौनी की प्रविष्टियों की सत्यता की उपधारणा तब तक की जानी चाहिए जब तक कि उनको प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाए या उनका खंडन नहीं कर दिया जाए।

28. इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा विवादित भूमि उनके एकमात्र स्वामित्व की होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णीत **न्यायदृष्टांत भारत संघ व अन्य बनाम वासाबी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी व अन्य, 2014(2) एस.सी.सी. 269** में यह प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व अभिलेखों में अंकित प्रविष्टियों का साक्ष्यिक मूल्य तो हो सकता है, परंतु ऐसी प्रविष्टियां स्वत्व का आधार नहीं हो सकती हैं। वादीगण द्वारा अभिवचनों और साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि वादग्रस्त भूमि पर उनके स्वत्व का आधार क्या है, तब राजस्व अभिलेखों में अंकित प्रविष्टियां वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व को निर्धारित करने में निश्चायक नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त न्यायदृष्टांत **Jattu Ram V. Hakam Singh, reported in AIR 1994 SC 1653** in which it is held as under: "3. .... It is settled law that the jamabandi entries are only for fiscal purpose and they create no title .... This legal position was also considered by the subordinate appellate Court in reversing the decree of the trial Court. में की गई मताभिव्यक्ति को विचार में लेते हुए **न्यायदृष्टांत नूर मोहम्मद विरुद्ध देवबक्श 2006 रेवेन्यू निर्णय 287 अन्य** के आधार पर में मताभिव्यक्ति करते हुए व्यक्त किया गया है कि खसरा एवं खतौनी प्रविष्टियां राजस्व प्रयोजन के लिए रखी जाती है और इसके आधार पर किसी भी पक्ष का स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। खसरा एवं खतौनी इन्द्राज के संबंध में सत्यता केवल धारणात्मक मूल्य रखती है। यदि स्वत्व आधारित होने वाली प्रकिया स्वत्व का स्त्रोत प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो मात्र खसरा एवं खतौनी इन्द्राज के आधार पर यह ठहराया नहीं जा सकता है कि वादीगण

वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी है। खसरा एवं खतौनी इन्द्राज संपुष्टिकारक साक्ष्य हो सकता है परन्तु इसके आधार पर स्वत्व पर आधारित वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है। वादीगण को स्वत्व स्थापित करने के उपरांत अधीन अकाट्य साक्ष्य के द्वारा स्वत्व साबित करना चाहिए।

29. इस संबंध में न्यायदृष्टांत **<u>विष्णु शरद एवं अन्य विरुद्ध अजुद्दीबाई व अन्य 2004(3) एम.पी.एच.टी. 193</u>** में यह मताभिव्यक्ति की गई कि राजस्व प्रविष्टियों के संबंध में म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 117 के अधीन उनके सतत् होने की उपधारणा की जा सकती है, यदि कोई वाद स्वत्व पर आधारित हो और यदि स्वत्व के स्त्रोत का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब केवल राजस्व प्रविष्टियों के आधार पर वादीगण को वादग्रस्त भूमि का भूस्वामी नहीं माना जा सकता है किसी तथ्य विशेष के संबंध में मात्र उस आधार पर स्वत्व निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

30. वादीगण द्वारा अपने वादपत्र तथा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान कथन किया है कि कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 633 रकबा 1.03 हेक्टेयर को पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति में से 633/1 रकबा 0.53 हेक्टेयर को अपने एकमात्र स्वामी होने का अभिवचन किया है, जहां तक भूमि सर्वे क्रमांक 633 रकबा 1.03 हेक्टेयर का पैतृक संपत्ति होने का अभिवचन है तो सर्वप्रथम पैतृक संपत्ति को परिभाषित करना यह न्यायालय उचित समझता है। पैतृक सम्पत्ति अर्थात् Ancestral property means property inherited from ancestor may be called as ancestral property. But in hindu law it has technical meaning. It is property inherited from great grand father, grand father of father (three immediate ancestors), which is called ancestral property. यहां यह उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा विवादित कृषि भूमि पैतृक होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में अभिवचन किया है कि भूमि सर्वे क्रमांक 634 रकबा 1.03 हेक्टेयर का वर्ष 2008 में आपसी बंटवारा कर लिया था और बंटवारे के पश्चात सर्वे क्रमांक 633 रकबा 1.03 हेक्टेयर की भूमि प्रतिवादी मानसिंह को प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार का सुझाव वादीगण के अधिवक्ता के द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रतिवादी उषाबाई को भी उसके प्रतिपरीक्षण में दिया गया है।

31. जहां तक प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 03 के पक्ष में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 633/1 रकबा 0.53 हेक्टेयर में से 0.25 हेक्टेयर का

दानपत्र जो वादीगण के अधिकार की सीमा तक शून्य व अबंधनकारी होने का प्रश्न है, तो यहां यह उल्लेखनीय है कि किसी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने के पश्चात वह संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं होकर स्वअर्जित संपत्ति हो जाती है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में भी पैतृक संपत्ति का विभाजन होने के संबंध में अभिवचन किया है और प्रतिपरीक्षण में भी वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी उषाबाई को संपत्ति का विभाजन होने का सुझाव दिया गया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा दिये गये सुझाव से भी पैतृक संपत्ति का बंटवारा होना दर्शित है और बंटवारे के पश्चात उक्त भूमि का स्वअर्जित भूमि हो जाना भी दर्शित है। स्वअर्जित भूमि के संबंध में विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वअर्जित संपत्ति का अंतरण, हस्तांतरण अपनी इच्छा अनुसार वसीयत, विक्रय पत्र एवं दानपत्र के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कर सकता है। इस प्रकार प्रकरण में भूमि सर्वे क्रमांक 633 रकबा 1.03 हेक्टेयर बंटवारे के पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 1 मानसिंह की स्वअर्जित संपत्ति थी और उसे उक्त भूमि अपनी इच्छा अनुसार विक्रय, वसीयत या दान करने का अधिकार है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रतिवदी क्रमांक 3 के पक्ष में कराया गया दानपत्र वादीगण के अधिकार की सीमा तक शून्य व अबंधनकारी होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

32. यह सुस्थापित विधि है कि वादी को अपने अभिवचन में वर्णित तथ्यों को अपनी साक्ष्य से साबित करना होता है इस प्रकार वादी पर भी उसके मामले को साबित करने का प्राथमिक भार है क्योंकि वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं प्रमाणित करने का भार भी वादी पर है। प्रतिवादीगण की असफलता का लाभ वादी को प्राप्त नहीं होता है। **न्यायदृष्टांत भारत संघ वि. वसावी कोओपरेटिव सोसायटी हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड (2014)2 एससीसी 269** में यह प्रतिपादित किया गया है कि हक की घोषणा के वाद में वादी पर सदैव यह भार रहता है कि वह वांछित घोषणा प्राप्त करने हेतु अपना प्रकरण पूर्णतः स्थापित करे और प्रतिवादीगण की कोई भी कमजोरी वादी को अनुतोष प्रदान किए जाने का आधार नहीं हो सकती है। विधिक स्थिति इस संबंध में भी स्पष्ट है कि वादी हक की घोषणा के बाद में अपने स्वयं के हक के बल पर ही सफल हो सकता है और ऐसा केवल इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करके एवं सबूत के भार से उन्मोचित होकर किया जा सकता है फिर चाहे प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रकरण उनके विरुद्ध भी पाया जाए तब भी वादी द्वारा उसका हक साबित किए बिना वह अपने वाद में असफल ही होगा। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा म.प्र. राज्य वि. नौमीसिंह एवं एक अन्य 2015 (3) एससीआर. 798 (2015) 14 एसएससी. 450 में प्रतिपादित सिद्धांत भी अवलोकनीय है। UNION OF INDIA AND OTHERS Versus VASAVI COOPERATIVE HOUSING SOCIETY

LIMITED AND OTHERS (2014)2 Supreme Court Cases 269:(2014)2 SCC (Civil) 66:2014 SCC OnLine SC 20. Suit for declaration of title and possession, burden is on plaintiff to establish its case. Irrespective of whether defendants prove their case or not, in absence of establishment of its own title, the plaintiff must be non-suited even if title set up by defendants is found against them, weakness of case set up by defendants cannot be a ground to grant relief to plaintiff.

33. वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं मात्र खसरा एवं खतौनी प्रविष्टी प्रपी. 7 लगायत 48 प्रस्तुत की है। यह भी सुस्थापित विधि है कि राजस्व अभिलेखों में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होने से उसको हक, स्वत्व एवं अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, इस संबंध में **''वर्ष 2002 राजस्व निर्णय 306 (माननीय उच्च न्यायालय) नारायणप्रसाद विरुद्ध तुलसीराम''** अवलोकनीय हैं। उक्त विधिक स्थिति के अनुसार दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को स्वत्व संबंधी दस्तावेज पर उसकी स्वत्व श्रृंखला को प्रस्तुत करते हुए दावा साबित करना आवश्यक होने संबंधी उनका संभावित बचाव युक्तियुक्त होना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में वादी विजय (वा.सा.01) ने अपने विवादित भूमि पर स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है और न ही यह प्रमाणित पाया गया है कि विवादित संपत्ति पैतृक संपत्ति है जिस पर वादीगण का अधिकार हो। ऐसी दशा में अभिलेख पर आई साक्ष्य से एवं दस्तावेजों के अभाव में यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि वादीगण का विवादित सर्वे क्रमांक 633/1 रकबा 0.53 हेक्टेयर पर एकमात्र स्वामित्व है और यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 3 के पक्ष में कराया गया दानपत्र दिनांक 04.11.2022 वादीगण के हित व अधिकार के संबंध में शून्य व अबंधनकारी हैं। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 व 02 अप्रमाणित पाये जाते हैं।

वाद प्रश्न क्रमांक 03

34. वादी विजय (वा.सा.1) द्वारा अभिवचन किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 05.02.2014 को पुलिस थाना देवास, दिनांक 30.05.2017 को कलेक्टर जनसुनवाई देवास, दिनांक 01.06.2021 को थाना प्रभारी हाटपीपल्या देवास को आवेदन प्रस्तुत किया है। वादी विजय (वा.सा.1) द्वारा उसके पक्ष समर्थन में दिनांक 01.06.2021 को थाना प्रभारी पुलिस थाना हाटपीपल्या पर की गई शिकायत की प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद प्रपी. 50 है, जिस पर ए से ए के मध्य

थाने की सील व हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित है तथा उसकी माता ने अंगूठा लगाया था। उसकी मां सुशीलाबाई वादी क्रमांक 01 द्वारा जनसुनवाई केंद्र में दिनांक 16.07.2013 को श्रीमान कलेक्टर को प्रस्तुत शिकायती आवेदन प्रपी. 51, उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक देवास को की गई शिकायत आवेदन पत्र प्रपी. 52 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर पुलिस अधीक्षक जिला देवास की सील, हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित है। पुलिस थाना हाटपीपल्या पर उसकी माता द्वारा की गई शिकायत दिनांक 09.12.2019 का आवेदन पत्र प्रपी. 53 है जिस पर थाने द्वारा पावती दी गई है जो ए से ए के मध्य अंकित है। न्यायालय व तहसीलदार हाटपीपल्या के प्रकरण क्रमांक 1945/अ—6 /2022—23 के प्रकरण की प्रोसीडिंग धारा 109, 110 का आवेदन, पटवारी प्रतिवेदन, जवाब एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2023 की प्रमाणित प्रति पेश की है जो क्रमशः प्रपी. 54 लगायत 58 है। उसके द्वारा उप पंजीयक कार्यालय बागली एवं देवास में प्रस्तुत आपत्ति आवेदन एवं रसीदें, प्राप्ति अभिस्वीकृति प्रस्तुत की है, जो क्रमशः प्रपी. 59 लगायत 61 हैं जिसके ए से ए के मध्य उसके हस्ताक्षर हैं।

35. वादीगण का अभिवचन है कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है और पैतृक भूमि होने से उनका वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य है चूंकि पूर्व वाद प्रश्न विवादित भूमि पैतृक भूमि होना और पैतृक भूमि पर वादीगण का आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। साथ ही निषेधज्ञा का अनुतोष साम्यिक् अनुतोष है वादी को उक्त अनुतोष प्राप्त करने के लिए न केवल स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आना पडेगा बल्कि विश्वसनीय साक्ष्य से इस तथ्य को प्रमाणित भी करना पडेगा। यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी का विधिक आधिपत्य प्रमाणित नहीं हुआ है ऐसे में साक्ष्य विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विधिक आधिपत्य को संरक्षित किया जाना चाहिए। अतः प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के विधिक अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा रहा है प्रमाणित नहीं है।

36. विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि वादीगण को अपना मामला सिद्ध करने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। वादीगण द्वारा इस संबंध में कोई भी सारभूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे कि यह तथ्य अधिसंभाव्य रूप से प्रमाणित हो सके कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण के विधिक आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 03 वादी के पक्ष में अप्रमाणित पाया जाता है।

सहायता एवं व्यय
वाद प्रश्न क्रमांक 04

37. उपरोक्त विवेचना से वादीगण यह अधिसंभावनाओ की प्रबलता के परिपेक्ष्य में प्रमाणित करने में असफल रहे है कि ग्राम बोरखेड़ापूर्विया, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास म.प्र. में स्थित भूमि सर्वे नं. 633 / 1, रकबा 0.53 हेक्टेयर के वादीगण एकमात्र स्वामी हैं। यह भी प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि उक्त भूमि में से रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि का प्रतिवादी क्रमांक 01 ने प्रतिवादी क्रमांक 03 के पक्ष में निष्पादित दानपत्र दिनांक 04.11.2022 वादीगण के हित व अधिकार के संबंध में शून्य व अबंधनकारी है। यह भी प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर अवैधानिक रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है। फलतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद **अस्वीकार** किया जाता है एवं निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती हैं :–

01. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणात्मक सहायता एवं स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में अस्वीकार किया जाता है।

02. वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना वाद व्यय स्वंय वहन करेंगे।

03. अधिवक्ता शुल्क मध्य प्रदेश व्यवहार न्यायालय नियम, 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, जो भी कम हो वाद व्यय जोडा जावें।

तदानुसार जयपत्र तैयार किया जावें।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

दिनांक– 25.06.2025
स्थान– बागली जिला देवास म.प्र.

(बबीता प्रजापत)
प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड
बागली जिला देवास म.प्र.

Digitally signed by BABITA PRAJAPAT